



-प्रेस नोट-

दिनांक: 27/08/2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा फायरिंग करने वाले 01 बाल अपचारी व 05 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा /01 खोखा कारतूस बरामद**

अवगत कराना है कि दिनांक 26.08.2024 को वादी हर्ष कुमार पुत्र ऋषिपाल नि0 ग्राम रमाजनपुरा थाना को0देहात जनपद सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 01 अर्पण पुत्र नरेश सैनी 02-मुकुल पुत्र मुकेश कश्यप 03- अंकित पुत्र अशोक सैनी 04- सौरभ उर्फ चूहा पुत्र सतीश सैनी नि0गण ग्राम हसनपुर थाना को0देहात जनपद सहारनपुर 05- विशाल पुत्र बलराम नि0 रजमानपुरा थाना को0देहात जनपद सहारनपुर व द्वितीय पक्ष 06- विशाल सैनी पुत्र मांगेराम 07- विककी पुत्र ओमीचन्द नि0गण ग्राम टोपरी थाना को0देहात जनपद सहारनपुर 08- शुभम पुत्र समय सिंह 09- अक्षय पुत्र करेशन 10- अनुज पुत्र बिजेन्द्र व कुछ अज्ञात द्वारा आपस में झगडा करना व एक दुसरे पक्ष पर गोली चलाना जिसमें एक गोली वादी के चचेरे भाई अमन उर्फ साहिल पुत्र नरेश नि0 ग्राम रमजानपुरा थाना को0देहात जनपद सहारनपुर के दाये पैर में लग जाने से घायल हो जाना तथा मौके पर अफरा तफरी मच जाने से भय का माहौल पैदा हो जाने से आस पास के लोगो के अपने घर में छिप जाने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 361/24 धारा 191(3)/109(1) बीएनएस व 7 क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट एक्ट बनाम उपरोक्त अर्पण आदि के पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त मुकदमें के वांछित अभियुक्तगण 1.अर्पण सैनी पुत्र नरेश निवासी ग्राम हसनपुर थाना कोतवाली देहात सहारनपुर 2.विशाल पुत्र बलराम निवासी रमजानपुरा थाना कोतवाली देहात सहारनपुर 3.मुकुल पुत्र मुकेश निवासी ग्राम हसनपुर थाना कोतवाली देहात सहारनपुर को सरकडी खुमार को जाने वाले बाईपास पास से गिरफ्तार किया गया तथा 4.शुभम पुत्र समय सिंह नि0 खुब्बनपुर उर्फ चक अब्दुल्ला थाना कोतवाली देहात सहारनपुर 5. विशाल सैनी पुत्र मांगेराम नि0 ग्राम टोपरी थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर व 6.एक बाल अपचारी को बेहट अड्डे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभि0 अर्पण के कब्जे से उक्त घटना में प्रयुक्त एक तमंचा 315 बोर व 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गई। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त अर्पण सैनी ने पूछने पर बताया कि मेरी विशाल सैनी पुत्र मांगेराम सैनी निवासी ग्राम टोपरी थाना कोतवाली देहात सहारनपुर से किसी बात को लेकर कहासनी हो गयी थी। जिस कारण विशाल ने मुझे धमकी देकर रमजानपुरा मिलने के लिये बुलाया था। मैं भी अपने दोस्त विशाल पुत्र बलराम, मुकुल व दो अन्य दोस्तों को साथ लेकर उसके रमजानपुरा भारत धर्मकांटे के पास गया था तथा उधर से विशाल सैनी अपने साथियों को साथ लेकर रमजानपुरा आ गया था। इन लोगो ने हम लोगो की तरफ अपने हाथ में लिये हुये तमंचे से जान से मारने की नीयत

से फायर कर दिया फिर मैंने भी अपने इसी तमंचे से विशाल के पक्ष के लोगो की तरफ जान से मारने की नियत से फायर कर दिया तथा मेरे साथियो ने भी इन लोगो की तरफ फायर किए थे। तभी वहाँ पर किसी तीसरे पक्ष के राह चलते व्यक्ति को गोली लग गयी थी और मैं अपने साथियो के साथ वहा से भाग आया था। आज मेरे पास से जो तमंचा व कारतूस बरामद हुये है। यह वही तमंचा है जिससे मैंने रमजानपुरा में भारत धर्मकांटे के पास फायर की थी।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

1. अर्पण सैनी पुत्र नरेश निवासी ग्राम हसनपुर थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
2. विशाल पुत्र बलराम निवासी रमजानपुरा थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
3. मुकुल पुत्र मुकेश निवासी ग्राम हसनपुर थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
4. शुभम पुत्र समय सिंह नि0 खुब्बनपुर उर्फ चक अब्दुल्ला थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
5. विशाल सैनी पुत्र मांगेराम नि0 ग्राम टोपरी थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर
6. बाल अपचारी

### **बरामदगी का विवरण:-**

- 01 तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 01 खोखा कारतूस 315 बोर

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. प्र0नि0 श्री चन्द्रसैन सैनी कोतवाली देहात सहारनपुर
2. उ0नि0 अजय पाल सिंह कोतवाली देहात सहारनपुर
3. उ0नि0 अभिषेक कुशवाह कोतवाली देहात सहारनपुर
4. है0का0 843 विवेक कोतवाली देहात सहारनपुर
5. है0का0 839 कपिल राणा कोतवाली देहात सहारनपुर
6. है0का0 207 दिनेश कोतवाली देहात सहारनपुर
7. का0 1551 अमित कुमार कोतवाली देहात सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 27/08/2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01**

**नाजायज छुरा बरामद**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु अवैध शस्त्र रखने वाले एवं इनके कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त **सावेज पुत्र अफजाल निवासी ईनाम कालोनी निकट जामिया मदरसा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को मंडी समिति रोड से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 छुरा नाजायज बरामद हुआ। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर पर मु0अ0स0 326/24 धारा 4/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -**

सावेज पुत्र अफजाल निवासी ईनाम कालोनी निकट जामिया मदरसा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

**गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -**

1. मु0अ0सं0 335/23 धारा 4/25 आर्मस एक्ट एवं धारा 380,411,457 भा0द0वि0 थाना सदर बाजार
2. मु0अ0सं0 118/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 447/2019 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना सदर बाजार सहारनपुर

**बरामदगी का विवरण -**

01 नाजायज छुरा

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 श्री सत्यवीर सिंह थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
2. हे0का0 705 प्रशांत राणा थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
3. का0 2318 सौरभ कुमार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर



दिनांक: 27/08/2024

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना देवबन्द पुलिस द्वारा दुष्कर्म करने के आरोपी वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि दिनांक 03.08.2024 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त मासूम अली पुत्र कारी अख्तर नि0 ग्राम मानकी थाना देवबन्द, सहारनपुर द्वारा वादी की बहन को बहला फुसलाकर ले जाने की सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 423/2024 धारा 61/87 बीएनएस बनाम मासूम आदि के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपाल में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 27.08.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए 01 वांछित **अभियुक्त मासूम अली पुत्र कारी अख्तर नि0 ग्राम मानकी थाना देवबन्द सहारनपुर** को मंगलौर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। पीडिता के बयान के आधार पर पीडिता से दुष्कर्म की पुष्टि हुई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर मा0 न्या0 के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

मासूम अली पुत्र कारी अख्तर नि0 ग्राम मानकी थाना देवबन्द सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 श्री शिवम चौधरी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 542 सुरेशपाल व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
3. का0 721 अक्षय तोमर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 27/08/2024

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना देवबन्द पुलिस द्वारा स्कूल बस पर फायरिंग की घटना में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे**

**से घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा / 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद**

अवगत कराना है कि दिनांक 24.08.2024 को वादी श्री रवि कुमार पुत्र श्री बेगराज सिंह निवासी ग्राम भायला कला, थाना देवबन्द जिला सहारनपुर लिखित तहरीर बाबत 05 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक राय होकर जान से मारने की नियत से बस सं० UP11BT4877 में बैठे छात्रों पर गोलियां चलाने, जिसमें छात्र / चालक के बाल बाल बच जाने की सूचना के आधार पर थाना देवबंद पर मु०अ०सं०- 463/24 धारा 190/191/109 बी०एन०एस० अभियोग पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देशन दिये गये। आदेश के अनुपाल में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में व श्रीमान प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार के नेतृत्व में आज दिनांक 27.08.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए एक वांछित अभियुक्त आदित्य पुत्र निमेन्द्र नि० ग्राम झबीरन थाना सरसावा जनपद सहारनपुर को खाली मैदान सन्त विहार कालोनी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद। गिरफ्तार अभियुक्त वैधानिक कार्यवाही कर अभियुक्त उपरोक्त को मा० न्या० के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

आदित्य पुत्र निमेन्द्र नि० ग्राम झबीरन थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

**बरामदगी का विवरण:-**

- 01 तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ०नि० श्री विकास चारण थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
2. का० रवि थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
3. का० ऋषभ देशवाल थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 27.08.2024

-प्रेस नोट-

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

**थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा चोरी की 02 घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 02 शांति चोर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का माल (कुल 4030 रुपये नकद 03 अंगूठी सफेद धातु व 02 अदद बिछुए सफेद धातु) बरामद**

अवगत कराना है कि दिनांक 26.05.2024 को वादिया मुस्ययदा पत्नी जावेद निवासी मौ० छत्ता कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादिया के घर से चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना नानौता पर मु०अ०सं० 123/2024 धारा 380 भा०द०वि० के पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 16.07.2024 को मो० हसन पुत्र श्री शाबिउल हसन निवासी मोहल्ला चाहमंजली कोट कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत वादी के घर में रखी ज्वैलरी व रुपयो को किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लेने की सूचना के आधार पर थाना नानौता मु०अ०सं० 163/2024 धारा 305(A) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री अमित नागर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 27.08.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त दोनों मुकदमों में चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्तगण 1. समीर पुत्र युसुफ निवासी मोहल्ला छत्ता कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर व 2. शहजाद उर्फ वाछू पुत्र भूरा उर्फ इरसाद निवासी चाहमंजली कोट कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर को रुहाडा पुलिस के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त समीर उपरोक्त के कब्जे से चोरी किये गये आभूषण बेचकर प्राप्त किये गये 2150 रुपये, 02 अंगूठी सफेद धातु व 02 अदद बिछुए सफेद धातु बरामद। अभियुक्त शहजाद उपरोक्त के कब्जे से 01 अंगूठी सफेद धातु व 1880 रुपये बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त दोनों मुकदमों में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग बेरोजगार हैं और नशे के आदि हैं। हम दोनों मिलकर छोटी मोटी चोरी कर लेते हैं। करीब तीन महिने पहले भी हमने ने मोहल्ला छत्ता में जावेद के घर का ताला तोड़ कर बर्तन व सोने चाँदी के जेवरात चोरी कर लिये थे तथा करीब डेढ़ महिने पहले मोहर्रम के दिन हसन मौ० चाहमंजली के घर में जब कोई नहीं था तो हमने उसके घर से रुपये व सोने चाँदी के जेवरात चोरी किये थे।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

1. समीर पुत्र युसुफ निवासी मोहल्ला छत्ता कस्बा व थाना नानौता जि० सहारनपुर
2. शहजाद उर्फ वाछू पुत्र भूरा उर्फ इरसाद निवासी चाहमंजली कोट कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर

### **बरामदगी का विवरण:-**

कुल 4030 रुपये नकद

03 अंगूठी सफेद धातु

02 अदद बिछुए सफेद धातु

### आपराधिक इतिहास अभि० समीर—

1. मु०अ०सं० 229/2020 धारा 4/25 आर्मस अधिनियम चालानी थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर
2. मु०अ०सं० 77/2023 धारा 63 आबकारी एक्ट चालानी थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर
3. मु०अ०सं० 78/2021 धारा 4/25 आर्मस एक्ट चालानी थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर
4. मु०अ०सं० 79/2021 धारा 414/420/482 भादवि चालानी थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर
5. मु०अ०सं० 15/2019 धारा 136/137 भा०वि०अधि० चालानी थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
6. मु०अ०सं० 34/2019 धारा 136/137 भा०वि०अधि० चालानी थाना नानौता जिला सहारनपुर
7. मु०अ०सं० 126/2022 धारा 4/25 आर्मस एक्ट चालानी थाना नानौता जिला सहारनपुर
8. मु०अ०सं० 282/2022 धारा 60 आबकारी अधि० चालानी थाना नानौता जिला सहारनपुर
9. मु०अ०सं० 163/2024 धारा 305(A)/317(2) BNS चालानी थाना नानौता जिला सहारनपुर
10. मु०अ०सं० 123/2024 धारा 380/457/411 BNS चालानी थाना नानौता जिला सहारनपुर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री अमित नागर थाना नानौता सहारनपुर
2. उ०नि० श्री रोहताश सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. उ०नि० श्री विजेन्द्रपाल सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. है०का० 597 मोहसीन थाना नानौता जनपद सहारनपुर
5. हो०गा० 2030 जीशान थाना नानौता जनपद सहारनपुर





-प्रेस नोट-

दिनांक:- 27.08.2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश**

**थाना सरसावा पुलिस द्वारा फायरिंग करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमन्चा 315 बोर व 01 खोखा कारतूस बरामद।**

अवगत कराना है कि दिनांक 27.08.2024 को थाना सरसावा पर वादी श्री अनिल पुत्र मदन नि0 ग्राम बेरखेडी कादरगढ थाना सरसावा सहारनपुर द्वारा स्वयं पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 247/24 धारा 125 बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट बनाम अंकित कुमार पुत्र संजय नि0 ग्राम रायपुर थाना सरसावा व डा0 राजू नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल फायरिंग की घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 27.08.2024 को थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त **अंकित कुमार पुत्र संजय नि0 ग्राम रायपुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से फायरिंग की घटना में प्रयुक्त 01 नाजायज तमन्चा 315 बोर व 01 खोका कारतूस बरामद हुआ। दौराने विवेचनात्मक कार्यवाही जान से मारने की नीयत से फायर करने के बजाय केवल फायरिंग करने का अपराध पाया गया। इसलिये मुकदमा उपरोक्त में धारा 109 बीएनएस का विलोपन कर धारा 125 बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मेरी अनिल के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। इसलिए मैंने फायर कर दिया था। आज जो तमन्चा मुझसे बरामद हुआ है ये वही तमन्चा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

अंकित कुमार पुत्र संजय नि0 ग्राम रायपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

**बरामदगी का विवरण:-**

- 01 नाजायज तमन्चा 315 बोर
- 01 खोका कारतूस 315 बोर

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त अंकित**

1. मु0अ0सं0 149/2020 धारा 188/269/270 भादवि व 3 महामारी अधि0 थाना सरसावा स0पुर
2. मु0अ0सं0 439/2020 धारा 323/384/504/506 भादवि थाना सरसावा स0पुर
3. मु0अ0सं0 247/24 धारा 125 बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा स0पुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 श्री यशपाल सिंह सोम थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. है0का0 97 अनुराग थाना सरसावा स0पुर
3. का0 2423 मनमोहन थाना सरसावा स0पुर
4. का0 2312 राजू थाना सरसावा स0पुर





दिनांक: 27.08.2024

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**  
**थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 4 किलो 600**  
**ग्राम डोडा चूरन बरामद ।**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण एवं नशा तस्करी की घटनाओं की रोकथाम हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा आज दिनांक 27.08.2024 को चैकिंग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त दानिश उर्फ पोंहचा पुत्र कल्लू निवासी मौहल्ला ढोलीखाल ऊची मस्जिद थाना कुतुबशेर सहारनपुर को रैच के पुल के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 4 किलो 600 ग्राम डोडा चूरन बरामद हुआ है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 248/2024 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त दानिश उर्फ पोंहचा उपरोक्त द्वारा बताया कि मैं आज डोडा चूरन लेकर कहीं बेचने जा रहा था कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। डोडा चूरन को बेचकर मुझे अच्छी कमायी जो जाती है जिससे मैं अपने शौक मौज पूरा करता हूँ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

दानिश उर्फ पोंहचा पुत्र कल्लू निवासी मौहल्ला ढोलीखाल ऊची मस्जिद थाना कुतुबशेर सहारनपुर

**बरामदगी का विवरण:-**

➤ 04 किलो 600 ग्राम डोडा चूरन

**अभि0 दानिश उर्फ पोंहचा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-**

- 1- मु0अ0सं0 4/23 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
- 2- मु0अ0सं0 34/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
- 3- मु0अ0सं0 211/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
- 4- मु0अ0सं0 337/23 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
- 5- मु0अ0सं0 502/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
- 6- मु0अ0सं0 511/17 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
- 7- मु0अ0सं0 512/17 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
- 8- मु0अ0सं0 342/18 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर
- 9- मु0अ0सं0 23/15 धारा 424 भादवि थाना मंडी जिला सहारनपुर
- 10- मु0अ0सं0 136/19 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना मंडी जिला सहारनपुर
- 11- मु0अ0सं0 137/19 थाना मंडी जिला सहारनपुर
- 12- मु0अ0सं0 154/16 धाना 4/25 आर्मस एक्ट थाना मंडी जिला सहारनपुर

- 13- मु0अ0स0 188/18 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना मंडी सहारनपुर जिला सहारनपुर
- 14- मु0अ0स0 203/18 थाना मंडी जिला सहारनपुर थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
- 15- मु0अ0सं0 248/2024 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 रामबाबू सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
3. का0 1811 राहुल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
4. का0 1826 मोनू कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।



दिनांक: 27.08.2024

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**  
**थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा सट्टा खेलने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 1225 रुपये व सट्टा खेलने का सामान बरामद।**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण एवं वांछित वारंटी/अभियुक्तों एवं सटोरियों आदि की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा आज दिनांक 27.08.2024 को मुखबिर की सूचना पर एक सट्टा खेलने वाले अभियुक्त अब्दुल गफ्फार पुत्र शहीद निवासी गाडो वाला मौहल्ला मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर उम्र करीब 51 वर्ष को माल गोदाम रोड पर नाटक क्लब के पास दिवार के कोने के पास से गिरफ्तार किया गया है जिसके कब्जे से 1225 रुपये व सट्टा खेलने का सामान बरामद हुआ है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त अब्दुल गफ्फार उपरोक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 247/2024 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधि0 पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

➤ अब्दुल गफ्फार पुत्र शहीद निवासी गाडो वाला मौहल्ला मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

**बरामदगी का विवरण:-**

1225 रुपये व सट्टा खेलने का सामान

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 12 अंकुश गोदारा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. का0 1808 आशीष कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक:27-08-2024

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना चिलकाना पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने वाले 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 बलकटी, 01 सरिया, 01 डंडा बरामद**

अवगत कराना है कि दिनांक 27.08.2024 को वादी श्री राजकुमार पुत्र मलखान निवासी ग्राम टोडरपुर भूकड़ी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. ललित, 2. रोहताश, 3. विकास पुत्रगण धूम सिंह, 4. कुलदीप व 5. शिवम समस्त निवासीगण ग्राम टोडरपुर भूकड़ी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के पुत्र अंकुर व सचिन तथा भतीजे दीपक व रजत और भाई पिताम्बर के साथ एक राय होकर लाठी डण्डे व धारदार घातक हथियारों के साथ घर में घुसकर गाली गलौच करते हुए जान से मारने की नीयत से मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल करना व शोर शराबा सुनकर पड़ोसियों के आ जाने जान से मारने की धमकी देते हुए भाग जाने की सूचना के आधार पर थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0—207/2024 धारा- 333/352/191(2)/191(3)/351(2)(3)/115(2)/109 बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 27.08.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित 03 अभियुक्तगण 1. ललित पुत्र ईश्वर सिंह 2. रोहताश 3. विकास पुत्रगण धूम सिंह समस्त निवासीगण ग्राम टोडरपुर भूकड़ी थाना चिलकाना सहारनपुर को गन्देवड बिजलीघर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर तीनों अभियुक्तगणों ने एक स्वर में बताया कि हमारी गाँव के ही सचिन, अंकुर, पितांबर, रजत व दीपक से पहले से रंजिश चल रही थी। जिसे लेकर कल दिनांक 26.08.2024 हम तीनों व कुलदीप पुत्र मोहकम व शिवम पुत्र सुरेन्द्र नि0गण उपरोक्त ने सचिन, अंकुर, पितांबर, रजत व दीपक पर एक राय होकर जान से मारने की नीयत से घर में घुसकर लाठी - डंडे, सरियों व बलकटी से हमला कर दिया था। और मौके से भाग गये थे

#### **गिरफ्तार अभियुक्तका नाम व पता:-**

1. ललित पुत्र ईश्वर सिंह निवासी ग्राम टोडरपुर भूकड़ी थाना चिलकाना सहारनपुर।
2. रोहताश पुत्र धूम सिंह निवासी ग्राम टोडरपुर भूकड़ी थाना चिलकाना सहारनपुर।
3. विकास पुत्र धूम सिंह निवासी ग्राम टोडरपुर भूकड़ी थाना चिलकाना सहारनपुर।

#### **बरामदगी का विवरण:-**

- 01 बलकटी
- 01 सरिया व 01 डंडा

#### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 श्री पीयूष कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 विपिन शर्मा थाना चिलकाना सहारनपुर।
3. का0 461 सोनू तोमर थाना चिलकाना सहारनपुर।
4. का0 2056 शुभम सिरोही थाना चिलकाना सहारनपुर।
5. का0 2463 गौतम सिंह थाना चिलकाना सहारनपुर।



दिनांक: 27.08.2024

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**स्वाट टीम व थाना नानौता की संयुक्त पुलिस द्वारा हत्या की घटना का खुलासा करते हुए हत्यारोपी अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से आलाकत्ल एक छुरी व मृतक की मोटरसाइकिल बरामद**

अवगत कराना है कि दिनांक 07.08.2024 को वादी श्री भोपाल सिंह पुत्र रामपाल सिंह नि0 मोहल्ला मख्रदूमजहाँ सराय कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के पुत्र अंकित की हत्या कर शव को भारी झाल के पास दादनपुर रजवाहे मे फेंक देने की सूचना के आधार पर थाना नानौता पर मु0अ0स0 180/24 धारा 103(1)/238 बीएनएस के पंजीकृत किया गया। उक्त घटना के अनावरण हेतु उच्चाधिकारीगण द्वारा स्वाट टीम सहारनपुर व थाना नानौता पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना के खुलासे व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी स्वाट टीम व थाना प्रभारी श्री अमित कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 27.08.2024 को स्वाट टीम व थाना नानौता पुलिस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में हत्या की घटना का खुलासा करते हुए हत्यारोपी **अभियुक्त प्रवेश पुत्र इन्द्रपाल निवासी ग्राम बरसी थाना तितरो जनपद सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त प्रवेश उपरोक्त की निशादेही पर घटना मे प्रयुक्त आलाकत्ल एक अदद छुरी, मृतक की मोटरसाइकिल, मृतक का आधार कार्ड व पेन कार्ड बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 4/25 आयुध अधिनियम की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**पूछताछ का संक्षिप्त विवरण:-** अभियुक्त प्रवेश उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि अंकित कुमार एचडीएफसी बैंक एसलाईआई ब्रान्च गंगोह मे समूहो को ऋण देने की योजना पर काम करता था। मेरी अंकित से दोस्ती हो गयी थी। मैंने अंकित कुमार से समूह से करीब 38 हजार रुपये की किश्त ली थी और मैंने अंकित से 12000 रुपये उधार भी ले रखे थे। अंकित काफी दिनों से ये किश्ते व अपने उधार दिये रुपये माँग रहा था। अंकित बार बार इन पैसो को मुझसे माँगता रहता था। मेरे पास पैसे नहीं थे परन्तु अंकित लगातार उधार के पैसे मुझसे माँग रहा था जिससे मैं परेशान हो गया था, मैं पैसे नहीं दे पा रहा था तो मैंने सोचा कि क्यू ना अंकित का काम ही तमाम कर दूँ। मैंने दिनांक 17.08.2024 को अंकित को पैसे देने के बहाने अपने पास बुलाया और फिर मैं उसे लेकर हमामपुर नहर लेकर गया और मैंने छुरी से उसका गला रेंटकर हत्या कर दी और उसकी लाश व उसके बैग को नहर मे फेंक दिया था और उसकी मोटरसाइकिल बरसी रोड पर रजवाहे मे डाल दी थी।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

प्रवेश पुत्र इन्द्रपाल निवासी ग्राम बरसी थाना तितरो जनपद सहारनपुर

**बरामदगी का विवरण:-**

01 अदद छुरी आलाकत्ल

आधार कार्ड (मृतक अंकित)

पेन कार्ड (मृतक अंकित)

01 मोटरसाईकिल स्पलेन्डर न0 UP11AD5829 (मृतक अंकित)

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. निरीक्षक श्री संजीव कुमार प्रभारी स्वाट टीम सहारनपुर
2. थानाध्यक्ष श्री अमित नागर थाना नानौता सहारनपुर
3. व0उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह थाना नानौता सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री धीरज सिंह थाना नानौता सहारनपुर
5. है0का0 820 अनुज कुमार थाना नानौता सहारनपुर
6. है0का0 सचिन स्वाट टीम सहारनपुर
7. का0 अमित स्वाट टीम सहारनपुर
8. का0 2032 सचिन थाना नानौता सहारनपुर



दिनांक 27-08-2024

**-प्रेस नोट-**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-14, सहारनपुर द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 02 अभियुक्तों को 20 वर्ष का सश्रम कारावास 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सुनायी गयी **सजा** –

अवगत कराना है, कि दिनांक 25.10.2020 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1- एतेश्याम पुत्र फैजान व 2-जावेद पुत्र इस्लाम नि०गण ग्राम घौघरेकी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने की सूचना के आधार पर मु०अ०स०-397/2020 धारा 363 भादवि थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। विवेचना दौरान धारा 366,376डी भादवि व 3/4 पोक्सों अधिनियम की बढौत्तरी की गयी उपरोक्त अभियोग एसटी नं० 398/21 पर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-14 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-14, सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 27.08.2024 को अभियुक्तगण 1- एतेश्याम पुत्र फैजान व 2-जावेद पुत्र इस्लाम उपरोक्त को मु०अ०स०-397/2020 धारा 363,376डी भादवि व 5जी/6 पोक्सो अधिनियम का दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए०डी०जी०सी०) श्रीमती शहजाद खान

विवेचक उ०नि० श्री सोबीर नागर

पैरोकार का० 2328 कौशल कुमार थाना कोतवाली देहात सहारनपुर।